2

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 125/2021

प्रार्थीगण :-

1. जैन राजेश पुत्र श्री चम्पालालजी जैन निवासी खार मुम्बई (महाराष्ट्र)
2. जैन सुरेश पुत्र सलेराजजी जैन निवासी चुना भट्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
3. जैन सुरेश पुत्र चम्पलालजी जैन निवासी खार वेस्ट मुम्बई (महाराष्ट्र)
4. परमार नरेशकुमार पुत्र श्री सलेराजजी निवासी सायन, मुम्बई (महाराष्ट्र) जरीये खास मुखत्यार श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री भेरूलालजी जाति जैन निवासी खेड रोड, पदमावती श्री भैरूलालजी जाति जैन निवासी खेड रोड पदमावती नगर, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)0

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा जिला बाडमेर (राज)0
2. हल्का पटवारी होटलू पटवार क्षेत्र बिढुजा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)0

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस दुरस्ती करने ।

'निर्णय'

दिंनाक 09.07.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि सरहद मौजा ग्राम होटलू पटवार बिढूजा भू अभिलेख निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा न0 228/3 रकबा 20 बीघा 13 विस्वा का खातेदार मांगीया पुत्र रामा कौम भील साकिन देह खातेदार था। जिसक द्वारा अपना सम्पूर्ण खाता की जमीन श्री राजूराम पुत्र श्री गोकलदायी जाति भील साकिन मांजीवाला को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 511 के जरीये उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार राजूराम पुत्र श्री गोकलदासली जाति भील निवासी मांजीवाला को दिये गये एवं नया खसरा नम्बर 415/228 रकबा 20 बीघा 13 विस्वा राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया । उक्त खसरा भूमि के राजस्व लट्टा नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी के द्वारा तारीख 29.04.2021 को जारी प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस को तरमीम कर दी गयी जो शुद्व व सही नही है। जिससे प्रार्थीगण का हक हित प्रभावित होता है।

अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की इस्तदुआ में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 415/228 रकबा 20 बीघा 13 विस्वा के राजस्व लट्टा नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी के द्वारा तारीख 29.04.2021 करे जारी प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा परिशिष्ट 'ब' में की गई तरमीम को हटाई जाकर तरीख 11.11.2006 को हल्का पटवारी के ... परिशिष्ट 'अ' के अनुसार की गई तरमीम को लट्टा नक्शा ट्रेस में संशोधन ... दिश... कर लट्टा नक्शा ट्रेस को दुरस्त करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर ... विप्रार्थीगण को जरिये र... नोटिस भिजवाये गये। ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

विप्रार्थीगण संख्या 1 सरकारी पैराकार विप्रार्थीगण संख्या 2 हल्का पटवारी उपस्थित हुए। हल्का पटवारी बिठूजा श्री हनुमानराम के दिनांक 6.07.2021 को बयान कलमबद्ध किये गये ।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन यह पाया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पत्र के खसरा नम्बर 415/228 रकबा 20 बीघा 13 विस्वा राजस्व लट्टा नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी के द्वारा तारीख 29.04.2021 करे जारी प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा परिशिष्ट 'ब' में की गई तरमीम को हटाई जाकर तरीख 11.11.2006 को हल्का पटवारी के द्वारा नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार की गई तरमीम को लट्टा नक्शा ट्रेस को दुरूस्त की जावे । हल्का पटवारी बिठूजा श्री हनुमानराम के द्वारा भी दिनांक 6.07.2021 को अपने बयान में बताया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा डीआईएलआरएमपी योजना के तहत अवशेष रही तरमीमे की गई है, मूल खसरे में अवशेष तरमीम को पूर्ण करते समय पूर्व में की गई तरमीम नक्शा झीण-क्षीण अवस्था में होने से ध्यान नहीं रहना स्वीकार किया गया है। तथा पूर्व में की गई तरमीम की दुरूस्ती करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे सरहद मौजा सरहद ग्राम होटलू पटवार बिठूजा भू अभिलेख निरीक्षक जसोल तहसील पचपदरा खसरा नम्बर 415/228 रकबा 20 बीघा 13 विस्वा राजस्व लट्टा नक्शा ट्रेस में हल्का पटवारी के द्वारा तारीख 29.04.2021 करे जारी प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा परिशिष्ट 'ब' में की गई तरमीम को दुरूस्त कर उक्त भूमि की जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश No-F.12(138)Rev/06/1387 दिनांक 18.02.2008 के संलग्न संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत पत्रावली में दिनांक 11.11.2006 को हल्का पटवारी के द्वारा नक्शा परिशिष्ट 'अ' के के अनुसार पूर्व की स्थिति बहाल करवाते हुए तरमीम को लट्टा नक्शा ट्रेस को दुरूस्ती करने हेतु तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार, पचपदरा को भिजवाई जावे। तहसीलदार, पचपदरा तरमीम दुरूस्ती कर पालना पन्द्रह योम में इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(सरेश सोनी)
भू अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 09.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:33:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner